फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री हीरा सिंह पिता श्री खुमान सिंह जी रावत बाडिया आतरिया बली जस्सा खेड़ा, तहसील भीम जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 81 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 10.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः— प0 सू.अ.05 / 2025 / 2159—2160 दिनांक 15.0.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाा भूमि अवाप्ति से संबंधित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मूल ही इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भूमि अवाप्ति / 2025 / 1008 दिनांक 23.06.2025 द्वारा सक्षम अधिकारी (भू0अ0अ0) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द को प्रेषित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकनार्थ पश्चात वांछित सूचना हेतु सक्षम अधिकारी (भू.अ.अ.) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र प्रेषित किया। सक्षम अधिकारी (भू.अ.अ.) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना जरिये पत्रांक 1437 दिनांक 17.07.2025 द्वारा सूचना तैयार कर लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय राजसमन्द को प्रेषित की जा चुकी है। अतः उक्त क्रम में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र प्रेषित किया।

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( ) सू0अ0,05 / प्र.अपील 81 / 2025 / 919 दिनांक 07.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र उपखण्ड कार्यालय भीम के पत्रांक 1008 दिनांक 23.06.2025 से जरिये डाक इस अनुभाग को दिनांक 30.06.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05

की धारा 6(3) के तहत प्राप्त हुआ। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के भूमि अवाप्ति अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग को पत्रांक 239 दिनांक 30.06.2025 को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 1437 दिनांक 17.07.2025 से बिन्दु संख्या 01 से 06 तक की सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार इस अनुभाग को उपलब्ध करवाई गई। इस कार्यालय के पत्रांक 624 दिनांक 18.07.2025 से प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) एवं 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसके पश्चात् प्रार्थी स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शुल्क राशि 03 पृष्ठ X 02 रूपये प्रति पृष्ठ = 06 रूपये राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी को प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग के द्वारा प्रेषित सूचना की हस्ताक्षरित व अधिप्रमाणित प्रति प्रार्थी को बाद प्राप्ति हस्ताक्षर कर उपलब्ध करवा दी गई। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निश्चिम समयावधि में अपीलार्थी को उपलब्ध रिकोर्ड अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना स्वयं अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार वांछित शुल्क राजकोष में जमा करा अधिप्रमाणित सूचना प्राप्त कर ली गई।

अतः अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर बाद हस्ताक्षर प्राप्त कर ली जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)